अत्यावश्यक

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक एफ 2( )2013/कार्मिक/प्रमुवस/1909-1931 दिनांक 1 जुलाई, 2013

निमित,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
टीआरईई/ कार्य आयोजना एवं वन बन्दोबस्त, राजस्थान, जयपुर

अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, राजस्थान, जयपुर

मुख्य वन संरक्षक,
जयपुर/भरतपुर/कोटा/उदयपुर/जोधपुर/बीकानेर/अजमेर
वन्य जीव, भरतपुर/वन्य जीव, सवाईमाधोपुर/वन्य जीव, कोटा/वन्य जीव, उदयपुर/वन्य जीव, जोधपुर/एनटीएफपी, जयपुर/विभागीय कार्य, जयपुर/एफपीआर, जयपुर/
अनुसंधान एवं प्रशिक्षण, वाप्रसं, जयपुर
वन वर्धन, जयपुर/आरवीपी, कोटा/

वन संरक्षक,
बाघ परियोजना, सरिस्का मुख्यालय अलवर/रणथम्भौर बाघ परियोजना, सवाईमाधोपुर/

विषय :– क्षेत्रीय प्रथम के बकाया वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदनों के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि विभागीय वैबसाईट पर उपलब्ध क्षेत्रीय प्रथम के बकाया वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदनों की सूची का अवलोकन करने का कष्ट करावें। उक्त बकाया प्रतिवेदनों के सम्बन्ध में निम्नानुसार बिन्दुवार सूचना उपलब्ध करावें :–

1. यदि किसी क्षेत्रीय प्रथम के बकाया वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन इस कार्यालय को पूर्व में प्रेषित कर दिये गये हो तो उक्त पत्र की छाया प्रति भिजवावें।
2. यदि किसी क्षेत्रीय प्रथम के बकाया वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन आपके अथवा आपके अधीनस्थ कार्यालयों में लम्बित है, तो उक्त प्रतिवेदन में प्रतिवेदक/समीक्षक/स्वीकारकर्ता अधिकारी की टिप्पणी अंकित करवाते हुये इस कार्यालय को विशेष वाहक से भिजवावें।
3. यदि किसी क्षेत्रीय प्रथम द्वारा वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन पूर्ति कर उपलबध नहीं करवाया गया हो तो खाली प्रपत्र पर प्रतिवेदक/समीक्षक/स्वीकारकर्ता अधिकारी की टिप्पणी अंकित करवाते हुये इस कार्यालय को विशेष वाहक से भिजवावें।
4. यदि कोई प्रतिवेदक अधिकारी वर्तमान में सेवारत नहीं हो तो तत्समय के समीक्षक/स्वीकारकर्ता अधिकारी की टिप्पणी अंकित करावें। समीक्षक अधिकारी वर्तमान में सेवारत नहीं हो तो तत्समय के स्वीकारकर्ता अधिकारी की टिप्पणी अंकित करावें। प्रतिवेदक/समीक्षक/स्वीकारकर्ता अधिकारी के वर्तमान में सेवारत नहीं होने की स्थिति में "नो रिपोर्ट सर्टिफिकेट" का उल्लेख करते हुये सम्बन्धित अवधि की सेवायें सन्तोषप्रद होने, कोई जांच लम्बित नहीं होने, दण्ड नहीं दिये जाने एवं निरन्तर वेतन वृद्धियां मिलने का प्रमाण–पत्र भिजवाया जावे।

5. वर्तमान में आपके संभागाधीन पदस्थापित क्षेत्रीय प्रथम के बकाया प्रतिवेदन से सम्बन्धित प्रतिवेदक अधिकारी आपके नियंत्रणाधीन पदस्थापित नहीं होकर अन्य संभागाधीन पदस्थापित हो तो क्षेत्रीय प्रथम से प्रतिवेदन की पूर्ति करवा कर विशेष वाहक के माध्यम से सम्बन्धित प्रतिवेदक अधिकारी को भिजवाते हुये प्रतिवेदक / समीक्षक / स्वीकारकर्ता अधिकारी के नाम से इस कार्यालय को सूचित करावें।

6. यदि किसी क्षेत्रीय प्रथम के बकाया वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन (जो कि तीन माह से अधिक अवधि को हो) निम्न परिस्थितियों में भरवाया जाना सम्भव नहीं हो तो वर्तमान में पदस्थापन से सम्बन्धित संभागीय मुख्य वन संरक्षक ''नो रिपोर्ट सर्टिफिकेट'' अभिलेखों के आधार पर अवधि का उल्लेख करते हुये जारी कर इस कार्यालय को भिजवावें :-

(क) निलम्बित अवधि

(ख) आदेशों की प्रतीक्षा अवधि

(ग) अवकाश अवधि

7. यदि किसी क्षेत्रीय प्रथम द्वारा एक ही पद पर विभिन्न प्रतिवेदक अधिकारियों के अधीन तीन माह से कम अवधि तक कार्य किया गया हो, परन्तु स्वयं की उक्त पद की सेवायें तीन माह से अधिक की हो तो सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा प्रतिवेदित (Reportee) के आवेदन पर उपलब्ध अभिलेखों से सत्यापित करते हुये उक्त सूचना सम्बन्धित संभागीय मुख्य वन संरक्षक को भिजवायेंगे तथा उनके द्वारा उक्त अवधि का ''नो रिपोर्ट सर्टिफिकेट'' जारी कर इस कार्यालय को भिजवाया जावे।

8. यदि किसी क्षेत्रीय प्रथम द्वारा विभिन्न पद पर विभिन्न प्रतिवेदक अधिकारियों के अधीन तीन माह से कम अवधि तक कार्य किया गया हो, परन्तु स्वयं की उक्त पद की सेवायें तीन माह से कम की हो तो सम्बन्धित क्षेत्रीय के वर्तमान में पदस्थापन कार्यालय के उप वन संरक्षक द्वारा प्रतिवेदित (Reportee) के आवेदन पर उपलब्ध सेवा अभिलेख से उक्त अवधि को सत्यापित करते हुये उक्त सूचना संभागीय मुख्य वन संरक्षक को भिजवायेंगे तथा उनके द्वारा उक्त अवधि का ''नो रिपोर्ट सर्टिफिकेट'' जारी कर इस कार्यालय को भिजवाया जावे।

क्षेत्रीय प्रथम के बकाया वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदनों से सम्बन्धित उपरोक्त समस्त सूचनायें इस कार्यालय को 03 जुलाई, 2013 तक विशेष वाहक के माध्यम से भिजवाना सुनिश्चित करने का कष्ट करावें ताकि यथासमय क्षेत्रीय प्रथम से सहायक वन संरक्षक के पद पर पदोन्नति हेतु विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित शीघ्रतिशीघ्र करवाया जाना सम्भव हो सके।

कृपया इसे सर्वोपरि महत्व देंवे।

भवदीय,

Shikha

(शिखा मेहरा)
मुख्य वन संरक्षक (संस्थापन)
जयपुर